उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-32/2016/1284/92-2-16-14जांच/2009

लखनऊ:: दिनांक:: 14 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण कार्यो में शिथिलता बरतने, गुणवत्तापूर्वक कार्य न कराने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-661/62-3(प्रकोष्ठ)/14(जॉच)/2009 दिनांक 09-06-2009 द्वारा श्री रामस्वरूप रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 25-11-2010 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री रामस्वरूप रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-426/92(प्रकोष्ठ)/2011-14जांच/2009 दिनांक 13-12-2011 द्वारा समाप्त किया गया है :-

" मूल कार्ययोजना त्रुटिपूर्ण बनाने, कार्य को मानक के अनुरूप न कराने, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर शिथिल नियंत्रण के कारण, समय से कार्य सम्पादित न कराने तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न करने के लिये श्री रामस्वरूप रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता को परिनिन्दित किया जाता है।

उपरोक्त प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये मानी जायेगी।"

3- शासन के उक्त दण्डादेश दिनांक 13-12-2011 के विरूद्व याची श्री रामस्वरूप रावत के द्वारा योजित निर्देश याचिका संख्या-1427/2012 में पारित मा0 अधिकरण के अनन्तिम आदेश दिनांक 31-12-2012 द्वारा शासन के पारित दण्डादेश के क्रियान्वयन को इस वाद के अंतिम निर्णय तक के लिये स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये है। प्रश्नगत प्रकरण में पारित दण्डादेश में काफी समय व्यतीत हो चुका है। अतएव शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12-2011 द्वारा श्री रामस्वरूप रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विरूद्व पारित दण्डादेश निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-32/2016/1284(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, (श्री जयकुमार) मा0 लोक सेवा अधिकरण्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-1427/2012 रामस्वरूप रावत बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में तदनुसार मा0 अधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

3- श्री रामस्वरूप रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।